Delay in Power Projects in Uttar Pradesh

1337. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that fate of eight power projects cleared during the President Rule in U.P. hangs in balance due to inordinate delays in their finalisation by the U.P. Government;

(b) if so, whether Government have taken up the matter with U.P. Government to ascertain the reasons for delay;

(c) if so, what are the details of the reasons stated by the State Government; and

(d) what is the reaction of Government of India in this regard thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विधुत के पारेषण में होने वाली क्षति के संबंध में तुलनात्मक प्रतिशतता

1338. **श्री नागमणि**:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या विधुत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस समय देश में विधुत के पारेषण तथा वितरण में विधुत क्षति का प्रतिशत पड़ौसी देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो विधुत क्षति के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं

(ग) विधुत क्षति के प्रतिशत को कम करने के मार्ग में क्या बांधाए आ रही है और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या प्रयास कर रही हैं?

विज्ञान और प्रोधौगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधुत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलग्र) : (क) और (ख) वर्ष 1992 के दौरान बंगलादेश , नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा भारत में पारेषण एवं वितरण हानियां निम्नवत रहीः

बंगलादेश	-	39.09
नेपाल	-	29.38
पाकिस्तान	-	20.32
श्रीलंका	-	18.26
भारत	-	21.80

(ग) देश में पारेषण एवं वितरण हानियों की स्थिति में सुधार लाने में ये बाधाएं आ रही हैं:-

(i) कमजोर एवं अपर्याप्त उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली का होना;

(ii) देश में अत्याधिक ग्रामीण विघुतीकरण कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप सहायक पारेषण तथा उप-पारेषण प्रणाली को सशक्त बनाए बिना लम्बी लाइनों तथा वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जाना;

(iii) अत्यधिक रूपान्तरण अवस्थाओं के परिणामस्वरूप पारेषण हानियों के घटकों में वृद्वि होना

(iv) अनुचित भार प्रबन्धन के कारण प्रणाली पर अधिक भार पड़ना;

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पिंग लोड तथा शहरी क्षेत्रों में एअरकंडिशनरों, कूलरों तथा औघोगिक लोडो और लेड़िग बिन्दुओं पर अपर्याप्त प्रतिकारक, प्रतिपूर्ति के कारण न्यून बैद्युत घटक;

(vi) निर्माणक कार्यो की अन्य गुणवत्ता तथा उपस्करों का अपर्याप्त रखरखाव किया जाना;

(vii) कुछ राज्यों में कृषिगत पम्पों तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिए अमीटरीकृत विघुत आपूर्ति किया जाना, और

(viii) ऊर्जा की चोरी व दुरूपयोग किया जाना।

(घ) तकनीकी पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए के.वि.प्रा. ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्वान्त जारी किए हैं:-

(क) प्रचालक बोल्टता को बढ़ाना;

(ख) एल टी लाइनों की लम्बाई में कमी लाना;

भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मरों को स्थापित करना;

(घ) उपभोक्ताओं के परिसर में कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर अंगीकृत करना;

(ड.) शन्ट कैपेसिटर अधिष्ठापित करना;

(च) निर्माण तथा प्रचालन तकनीकी में सुधार लाना; और

(छ) दीर्घकालिक आधार पर वितरण प्रणाली की आयोजना एवं डिजाइन तैयार करने के लिए व्यवस्थित तथा प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाया जाना।

वाणिज्यिक हानियों तथा चोरी व दुरूपयोग के कारण होने वाली हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(क) बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किए जाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम 1910 में संशोधन किया गया हैं।

(ख) के.वि.प्रा. ने ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित किए जाने के लिए भी मार्गदर्शी सिद्वान्त जारी किए हैं।

(ग) राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् दिसम्बर, 1996 में जारी किए गए विघुत सम्बन्धी समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना में पारेषण एवं वितरा हानियां कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाव गए:-

-- सभी प्रमुख फीड़रों में उपकेन्द्रों पर मीटरीकरण करना अनिवार्य,

-- सभी नए बिजली कनैक्शनों का मीटरीकरण करना अनिवार्य, दो वर्ष की अवधि के अन्तर्गत 10 अश्व शक्ति से अधिक के कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित कनैक्शनों को भी मीटरीकृत कर दिया जाना चाहिए,

-- सन् 2002 ई. तक सभी प्रकार की विघुत आपूर्तिओं को मीटरीकृत किया जाना

-- 100 केवीए तक के वृहद् उपभोक्ताओं की अनिवार्य रूप सें वर्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा करना सुनिश्चित किया जाएगा।

-- बेहतर भार प्रबन्धन के लिए बड़े विघुत उपभोक्ताओं के मामले में दिन के समय पर मीटरीकरण करना शुरू किया जाएगा।

ताप विघुत संयंत्रो का सही ढंग से कार्य न करना

1339. श्री अजीत जोगी : क्या विघुत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विघुत संयंत्रो के सही ढंग से कार्य न करने के कारण इन संयंत्रो के विघुत उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन ताप विघुत संयंत्रो का सुचारू रूप से कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

विज्ञान और प्रौघोगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विघुत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलद्य) : (क) और (ख) देश में ताप विघुत स्टेशनों का कार्यनिष्पादन कुल मिलाकर सुधर रहा हैं। कोयला आधारित विघुत स्टेशनों का अखिल भारतीय संयंत्र भार अनुपात वर्ष 1991-9 में 55.3% से बढ़कर वर्ष 1996-97 में 64.4% हो गया हैं।

गत चार वर्षो का अखिल भारत ताप विघुत उत्पादन (लक्ष्य और वास्तविक) का ब्यौरा निम्नवत हैं:-

वर्ष वार विघुत उत्पादन (विलि. यूनिट)

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
आखिल भारत				
लक्ष्य	243.2	274.7	297.0	317.0
वास्तविक	247.7	262.8	299.6	317.1
उपलब्धि[%]	101.9	95.7	100.9	100.0

(ग) ताप विघुत स्टेशनों की अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम सदुपयोजन के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों में पुरानी यूनिटों का नवीनकरण एवं आधुनिकीकरण करना, उचित निवारक अनुरक्षण कार्यक्रम, उपस्करों की आवधिक रूप से नये सिरे से पूर्ण मरम्मत, मितव्ययी और कुशल प्रचालन के लिए प्रोत्साहन योजना और ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए एक स्कीम का क्रियान्वयन आदि शामिल हैं। ताप विघुत स्टेशनों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और कोयला कम्पनियो की भागेदारी से प्रभावी मानीटरिंग तंत्र की स्थापना की गई है।